<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
<u>27.09.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली जोनल कार्यालय ने 06-08-2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लालू प्रसाद यादव [पूर्व रेल मंत्री], तेजस्वी यादव [लालू प्रसाद यादव के बेटे] और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष नौकरी के लिए जमीन घोटाले में एक पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। जिन व्यक्तियों ने भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के विकल्प के रूप में अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने के बदले में लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों को मामूली रकम पर जमीन बेची, उन्हें भी पूरक पीसी में आरोपी बनाया गया है। माननीय विशेष न्यायालय ने 18.09.2024 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया और आरोपी व्यक्तियों को आगे की सुनवाई के लिए 07.10.2024 को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए।

ईडी ने नौकरी के लिए भूमि घोटाले से संबंधित के.अं.ब्यू. द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने 2004-2009 की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के स्थानापन्नों की नियुक्ति के लिए भ्रष्टाचार किया। प्राथमिकी के अनुसार उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे में नौकरी के बदले में रिश्वत के रूप में जमीन हस्तांतरित करने के लिए कहा गया था। के.अं.ब्यू. ने अब तक 5 आरोप पत्र दायर किए हैं।

ईडी ने पहले 08-01-2024 को अमित कत्याल [लालू प्रसाद यादव के करीबी विश्वासपात्र और सहयोगी], राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव [लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्य] और अन्य लोगों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की थी, जिन्होंने उम्मीदवारों के परिवार से मामूली रकम के लिए जमीन के टुकड़े प्राप्त किए थे [जो भारतीय रेलवे में ग्रुप डी के विकल्प के रूप में चुने गए थे]। पीसी का संज्ञान 27-01-2024 को लिया गया था।

इससे पहले ईडी ने 10-03-2023 को तलाशी अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप 1 करोड़ रुपये (लगभग) की नकदी और लगभग 1.25 करोड़ रुपये के मूल्य का कीमती सामान जब्त किया गया था। ईडी ने 29-07-2023 को 6.02 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को भी अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ईडी ने 11-11-2023 को अमित कत्याल को लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को धन-शोधन में जानबूझकर मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया था ।

आगे की जांच जारी है।